Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 17, Issue No. 1, April-2020, ISSN 2230-7540

भारत में विधिक सहायता का अधिकार: एक मानवीय दृष्टिकोण

Ratan Singh Tomar[1]* Prof. (Dr.) Narendra Kumar Thapak[2]

[1] Research Scholar, LNCT University, Bhopal, Madhya Pradesh

[2] Research Director, LNCT University, Bhopal, Madhya Pradesh

सार – ***भारत का संविधान सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, न्याय तथा अवसरों की समानता सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान किये जाने की घोषणा करता है।***

निर्धन तथा सम्पन्न सभी लोगों के लिये न्यायालय के द्वार समान रूप से खुले हुये हैं, लेकिन देखने में यह आता है, कि-सम्पन्न व्यक्ति विधिक कार्यवाहियों में विधिक व्यवस्थाओं की सहायता प्राप्त करके विजय प्राप्त कर लेता है, जबकि निर्धन व्यक्ति धन के अभाव में न्याय प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। निर्धन व्यक्ति को मामलों में आदेशिका शुल्क अथवा साक्ष्य व्यय न दे सकने के कारण भी पराजय का सामना करना पड़ता है। वैसे न्यायालय के द्वार सभी को खुलना पर्याप्त नही है, लेकिन समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान कर समता के सिद्धांत को अग्रसर करना भी राज्य का उत्तरदायित्व है।

----------X----------

अवधारणा एवं उद्देश्य:-

समाज के व्यक्तियों के विधियों का सही अथवा आधारभूत ज्ञान न होने के कारण छोटे-छोटे विवादों में उलझ जाते हैं और अज्ञानतावश वह विवाद बड़ा रूप ले लेता है, ऐसी स्थिति में राज्य का यह दायित्व है, कि-वह छोटे-छोटे विवाद उत्पन्न होते ही प्रारंभिक अवस्था में ही विवादों को सही व आवश्यक विधि का ज्ञान व सलाह देकर आपसी मनमुटाव को दूर कराकर उनके बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण रखने का प्रयास करे।

अज्ञान लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता तथा विधिक सलाह दिये जाने के आंदोलन की शुरूआत सन् 1945 में कानूनी सहायता समिति मुम्बई द्वारा किया गया। इसी समिति की प्रेरणा से ही उस समय के बम्बई राज्य शासन ने 1949 में स्वर्गीय न्यायमूर्ति श्री नटवरलाल हीरालाल भगवती की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। कमेटी द्वारा तत्परता दिखाते हुये 02 अक्टूबर 1949 में दिये गये अपने प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार को विस्तृत सुझाव दिये। इसी प्रकार न्यायमूर्ति हेरिस की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल राज्य में भी एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति ने भी ऐसे ही सुझाव राज्य शासन को दिये।

भारत में पहली बार केरल राज्य ने सन् 1959 में समाज के कमजोर वर्गों के लिये कानूनी सहायता देने के संबंध में नियम बनाये और कानूनी सहायता देने का काम शुरू किया।

मध्यप्रदेश राज्य में निःशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक सलाह के सपने को हकीकत में बदलने के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम-1976 पारित किया गया। म.प्र. राज्य के तत्कालीन विधि मंत्री श्री कृष्णपाल सिंह के प्रयासों से यह सम्भव हो पाया। यह अधिनियम 06 मई 1976 को लागू किया गया और इसी के आधार पर भोपाल में राज्य स्तर पर म.प्र. विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड की सथापना की गई। अधिनियम के अधीन शुरूआत में प्रदेश में 15 जिलों में विधिक सलाह समितियां गठित की गईं, उसके पश्चात् 15 अगस्त 1976 में प्रदेश के 30 जिलों में विधिक सहायता समितियों का गठन किया गया और आज प्रदेश के सभी जिलों में विधिक सहायता एवं विधिक सलाह समितियां गठित हैं। इस योजना का लाभ प्रदेश के गरीबों को उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय में भी दिये जाने के लिये म.प्र. उच्च न्यायालय तथा उच्चतम् न्यायालय में भी दिये जाने के लिये म.प्र. उच्च न्यायालय तथा उच्चतम् न्यायालय में उप समितियां भी गठित की गईं। वर्तमान में

www.ignited.in

प्रदेश में प्रत्येक तहसील स्तर पर तहसील विधिक सहायता एवं विधिक सलाह समितियां तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विधिक सहायता तथा विधिक सलाह समितियां भी गठित की जा चुकी हैं।

भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही न्यायिक व्यवस्था में नये-नये आयाम जोड़ने की मांग स्वतंत्रता के बाद से ही चली आ रही थी, इसी मांग को लेकर 1955 में भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग ने इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया, ताकि-वर्तमान न्यायिक प्रणाली को बहुत ही सरल, सस्ता और जन सहयोगी बनाया जा सके।

संविधान के अनुच्छेद 39ए में भी राज्य में न्याय के समान अवसर निःशुल्क विधिक सहायता और उसकी सुलभता की अपेक्षा की गई है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया सरल एवं त्वरित हो सके तथा उसमें नागरिकों में प्राकृतिक विधिक ज्ञान का भी उपयोग हो सके। आज भी न्यायिक कार्यवाही में जन सहयोग आवश्यक है। विधि आयोग के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन है, कि-विवादों को मौके पर निपटाने के लिये एक वैकल्पिक संगठन उपलब्ध कराया जाये, ताकि वर्तमान न्यायालयों पर निरन्तर बढ़ते हुये बोझ को कम किया जा सके और लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके, ऐसे संगठनों को न्याय पंचायत, जन पंचायत या लोक अदालत आदि नामों से जाना जाता है।

विधिक सहायता का इतिहास:- वैसे विधिक सहायता का इतिहास संविधान लागू होने के पूर्व से देखने को मिलता है। इग्लैण्ड में 1944 में लार्ड रशक्लिक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी थी, जिसका काम लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराना था, लेकिन वह कमेटी सीमित थी और भेदभाव के साथ काम करती थी, फिर भी यह कहना उचित नही होगा, कि-विधिक सहायता का कोई ऐतिहासिक महत्व नही है। विधिक सहायता की नीव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी।

विधिक सलाह की आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों को क्या सुविधायें दी जायें और विद्यमान प्रणाली को, जिसके द्वारा निर्धन व्यक्तियों को उस मुकदमे की पैरवी जिनसे उनका सरोकार हो चाहे वह सिविल न्यायालय हो अथवा दाण्डिक न्यायालय में हो, उनमें सुधार करने के लिये कमेटी बनाई गई। कमेटी की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:-

1. विधिक सहायता सभी न्यायालयों में निर्धारित रीति से उपलब्ध होनाचाहिये, जिससे उसकी आवश्यकता रखने वाले व्यक्ति-वकील संबंधी सहायता प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।

2. यह उपबन्ध केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहने चाहिये, जो सामान्यतः निर्धन के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं।

3. ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी राशि नही दे सकते हैं, उन्हें मुफ्त विधिक सहायता मिलनी चाहिये। उनके लिये जो खर्चों में से कुछ दे सकते हैं, उनकी एक अलग श्रेणी बनाई जाना चाहिये।

विधिक सहायता एवं विधिक सेवा प्राधिकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39ए समाज के गरीब और कमजोर वर्गो के लिए निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 और 22(1) राज्य के लिए यह अनिवार्य करता है कि वह कानून के समक्ष समानता और एक ऐसी कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करे जो सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे। समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गो के लिए स्वतंत्र और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम जिसे संसद द्वारा 1987 में अधिनियमित किया गया था, एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रभाव में लाया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) तत्पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर गठित किया गया था।

दृष्टिकोण: कमजोर वर्गो और वंचित वर्गो को निष्पक्ष और सार्थक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देना।

लक्ष्य: कानूनी तौर पर समाज के कमजोर और बहिष्कृत समूहों को सशक्त करने के लिए प्रभावी कानूनी

प्रतिनिधित्व प्रदान करना, कानूनी साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रमो के आयोजन द्वारा कानूनी तौर पर उपलब्ध लाभ और हकदार लाभार्थियो के बीच की खाई को कम करना।

लोक अदालत की प्रणाली और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना जिससे कि समाज के गरीब और वंचित वर्गो को विवादों के अनौपचारिक त्वरित और सस्ता समाधान प्रदान किया जा सके और न्यायपालिका पर अधिनिर्णय के अधिक बोझ को कम करना।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन:-

भारत के मुख्य न्यायधीश नालसा के प्रमुख संरक्षक हैं। सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। केन्द्र भारत सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से उच्च न्यायिक सेवा के एक अधिकारी को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव नियुक्त किया है।

सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का गठन प्रशासन और कानूनी सेवाओं के कार्यक्रम, जहाँ तक यह भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, को लागु करने के लिए हुआ है।

हर राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसमे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संरक्षक प्रमुख हैं और उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। प्रत्येक ैस्ै। के लिए एक सदस्य सचिव हैं।

इसी प्रकार, प्रत्येक उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है जिसके सचिव एक न्यायिक अधिकारी है।

जिला स्तर पर, विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसमें जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और न्यायिक अधिकारी सचिव है।

इसी तरह, तालूका स्तर पर, नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभाव देने के लिए, तालूका विधिक सेवा समिति गठित की गई है।

विधिक सेवा संस्थाओं की कार्य प्रणाली:-

नालसा देश भर में लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवप प्राधिकरणों के लिए नीतियांे, सिद्धांतो, दिशा निर्देशों और प्रभावी किफायती योजनायें बनाता है।

प्रथमतः राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला विधिक सेवा प्रधिकरणों एवं तालुक विधिक सेवा प्राधिकरणों वगैरह को मुख्य रूप से निम्नलिखित मुख्य कार्यो का निर्वहन करने के लिए कहा गया है।

1. पात्र व्यक्तियों को निशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना।
2. विवादों के सौहादपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करना।
3. समाज के कमजोर और वंचित वर्गाे के अधिकारों के बारे में कानूनी जागरूकता पैदा करने के लिए कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।
4. नालसा की योजनाओं और नीति निर्देशों को सामरिक और निवारक कानूनी सेवा कार्यक्रम द्वारा लागू करना।

निशुल्क विधिक सेवायें प्राप्त करने लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल हैं:-

- महिला और बच्चें
- अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य
- औद्योगिक कामगार
- बड़े पैमाने पर आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप व औद्योगिक आपदा से पीड़ित
- विकलांग व्यक्ति
- हिरासत में व्यक्ति
- वे व्यक्ति जिनकी आय 1 लाख रूपयें से अधिक नही है।
- तस्करी के शिकार मनुष्य या बेगार

निशुल्क विधिक सेवायें:

निशुल्क विधिक सेवाओं का तात्पर्य है उन गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को दीवानी और फौजदारी मामलों में किसी भी अदालत की कानूनी कार्यवाही में या न्यायाधिकरण में या एक प्राधिकारी के समक्ष, निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है।

निशुल्क विधिक सेवाओं में शामिल हैं:

- कानूनी कार्यवाही में एक अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व।
- वाद की तैयारी, अपील ज्ञापन, कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों का मुद्रण और अनुवाद सहित।
- कानूनी दस्तावेजो, विशेष अनुमति याचिका आदि की ड्राफ्टिंग।
- किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी मामले में किसी भी सेवा को प्रदान करना।
- किसी भी कानूनी मामले पर सलाह देना।

निशुल्क कानूनी सेवाओं में लाभार्थियों को सहायता और परामर्श के प्रावधान भी शामिल है जिससे वे कल्याण योजनाओं और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का उपयोग कर सके और किसी भी अन्य तरीके से न्याय तक पहुच सुनिश्चित कर सके।

विधिक सहायता के लिए आवेदन कैसे करे:-

वह व्यक्ति जिसे निःशुल्क विधिक सेवाओं की आवश्यक्ता है या तो लिखित आवेदन पत्र द्वारा अथवा उस प्राधिकरण द्वारा तैयार प्रपत्र को भर कर संबंधित अधिकारी या समिति को संपर्क कर सकता है। कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को संक्षिप्त रूप में अपनी शिकायत अथवा वे कारण जिसके लिए उसे कानूनी सहायता चाहिए का विवरण देना होगा।

- आवेदक अनपढ़ है या लिखने की स्थिति में नहीं है तो सदस्य सचिव या कानूनी सेवा प्राधिकरण/समिति का कोई भी अधिकारी उसकी मौखिक प्रस्तुति रिकार्ड करेगा और उस पर उसके अंगूठे के निशान या हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और इस तरह का रिकार्ड उसका आवेदन माना जायेगा। कानूनी स्वयंसेवक भी उसकी सहायता आवेदन फार्म भरने के लिए कर सकते हैं।
- आवेदक को कानूनी सेवाओं की मांग के लिए पात्रता मानदंड को सत्यापित करना होगा।

विधिक सेवाओं को कब वापिस लिया जा सकता है?:-

- सहायता प्राप्त व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हो तो।
- जहाँ सहायता प्राप्त व्यक्ति ने दुर्पदेशन या कपट से विधिक सेवा प्राप्त की हो।
- जहाँ व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति द्वारा नियुक्त वकील के अलावा किसी अन्य वकील नियुक्त कर लेता है।
- सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में सिवाय सिविल कार्यवाही के मामले में जहाँ अधिकार या दायित्व समाप्त नही होता है।
- जहाँ विधिक सेवा का आवेदन या प्रश्नगत मामला विधि या विधिक सेवा के दुरूपयोग होना पाया जाता है।

विधिक सेवाओं के अस्वीकार होने पर अपील:-

विधिक सेवा की मांग को अस्वीकार किये जाने पर उचित समय के भीतर प्राधिकरण/समिति के अध्यक्ष को अपील की जा सकती है।

शिकायत या सुझाव:

विधिक सेवा के संबंध में कोई शिकायत या सुझाव सदस्य सचिव को डाक या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है या विधिक सेवा क्लिनिक या कार्यालय में रखे शिकायत बक्सों में डाला जा सकता है।

लोक अदालत:-

लोक अदालत आम आदमी के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण विवाद तंत्र है। यह एक मंच है जहाँ अदालत में लंबित विवादों या ऐसे मामले जो अदालत तक नही पहुचे है केा सौहादपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत द्वारा किए गए अवार्ड को सिविल अदालत की डिक्री समझा जाता है और यह अंतिम और सभी पक्षो पर बाध्यकारी है तथा इसके खिलाफ किसी भी अदालत के समक्ष अपील वर्जित है।

लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरणों/समितियों द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 के तहत आयोजित की जाती है। लोक अदालतो में निम्न प्रकार के मामले लिए जा सकते है।

- वैवाहिक/पारिवारिक मामले

- आपराधिक मामले जो शमनीय है
- भूमि अधिग्रहण मामले
- श्रम मामले
- बैंक रिकवरी मामले और स्लम क्लीयरेंस और हाउसिंग फाइनेंस मामले
- उपभोक्ता मामले
- बिजली मामले
- टेलीफोन बिल विवाद
- हाउस टैक्स आदि सहित मुनिसिपेलेटी के मामले
- अन्य दीवानी मामले आदि

संदर्भित ग्रंथ सूची

1. गुप्ता अशोक कुमार: ''म.प्र. में विधिक सहायता एवं लोक अदालत 2003'', सरस्वती प्रकाशन भोपाल.
2. गुप्ता विश्व प्रकाश: लोकतंत्र समीक्षा 2004.
3. जैन/फड़िया: भारतीय शासन एवं राजनीति, चतुर्थ संस्करण 2003.
4. खेत्रपाल वी.एम.: "म.प्र. विधि निर्णय सार" दीप ज्योति प्रिंटर्स 1990.
5. परांजपे एन.वी. : "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" चतुर्थ संस्करण 2006.
6. पाण्डेय एन.वी.: "मध्यस्था एवं सुलह अधिनियम, 1996" द्वितीय संस्करण, 2003.
7. मिततल एच.एम.: जनहित याचिका, प्रथम संस्करण 2000.

Corresponding Author

Ratan Singh Tomar*

Research Scholar, LNCT University, Bhopal, Madhya Pradesh